कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः फा. 1(3)सविरा/नियम/60 दिनांक 22.9.2014

1. प्रशासक
2. प्रबन्ध संचालक,
   राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
   जयपुर।

आदेश

(राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11(4) के अन्तर्गत)

संविधान के 97वें संशोधन के कम में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 मे हुऐ संशोधनो के आलोक में राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के उपनियमों में संशोधन हेतु अधिनियम की धारा11(1) के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किये जाकर तीन माह के अन्दर सूचित करने की अपेक्षा की गई थी। अतः उक्त निर्धारित अवधि के समाप्त होने के उपरान्त अभी तक संस्था की ओर से प्रस्तावित उपनियम संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः मैं, अनुराग भारद्वाज रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान, जयपुर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 11(4) के अन्तर्गत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर की संलग्न उपविधियों को पंजीकृत करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19.9.2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

sd/-
(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त रजिस्ट्रार (उद्योग) प्रधान कार्यालय, जयपुर
2. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. गार्ड पत्रावली।

रजिस्ट्रार

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के संशोधित उपनियम

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
12(2)(क)	प्रतिवर्ष अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत आमसभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य बुलानी होगी तथा आवश्यकता होने पर इसे अधिक बार भी बुलाई जा सकेगी।	संचालक मण्डल साधारण सभा की बैठक का आयोजन वर्ष में कम से में एक बार अवश्य करेगा। यह साधारण सभा की बैठक वार्षिक हिसाब बन्द होने पर प्रथम 6मास के भीतर होगी और यह साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन होगा। आवश्यकता होने पर एक बार से अधिक साधारण सभा की बैठक बुलाई जा सकेगी।
12(3)(ख)	ऑडिट रिपोर्ट एवं ऐसे पत्रों पर विचार करना, जिन्हें राज्य सरकार अथवा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा साधारण सभा में रखा जाना आवश्यक बतलाया जावे।	मुद्रणालय के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों पर विचार करना। एवं मुद्रणालय के वार्षिक बजट एवं आय–व्यय की स्वीकृति तथा मुद्रणालय की लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु अधिनियम की धारा 54(4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल मे से लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करना। साथ ही मुद्रणालय की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना एवं सहकारिता विभाग के सेवारत अंकेक्षक से भिन्न अंकेक्षकों हेतु नियमानुसार ऑडिट फीस का निर्धारण करना।
13(1)	संचालक मण्डल में कुल 15 सदस्य होंगे। संचालक मण्डल का गठन निम्न प्रकार से होगा :– (क) शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित –2 (ख) केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित –5 (ग) प्राथमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित–4 (घ) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि–3 (ङ.)प्रबन्ध संचालक, संचालक मण्डल का पदेन सदस्य सचिव होगा संचालक मण्डल में उक्तानुसार 11 निर्वाचित सदस्यों में से न्यूनतम एक–एक सदस्य क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगे। इस हेतु संस्था का संचालक मण्डल प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व उक्त आरक्षित स्थानों का निर्धारण लॉटरी निकालकर करेगा, जो कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां से अनुमोदन के पश्चात् प्रभावशील	संचालक मण्डल में कुल 16 सदस्य होंगे। संचालक मण्डल का गठन निम्न प्रकार से होगा :– (क) शीर्ष सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित –2 (ख) केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित –6 (ग) प्राथमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित–4 (घ) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि–3 (ङ.)प्रबन्ध संचालक, संचालक मण्डल का पदेन सदस्य सचिव होगा

(अशोक अईयर)
उप रजिस्ट्रार (नियम)
सहकारी समितियां, राजस्थान

	होगा।	
13(4)	संचालक मण्डल की बैठक का कोरम 8 सदस्यों का होगा।	संचालक मण्डल की बैठक का कोरम आधे से एक अधिक सदस्यों का होगा।
14(1)(5)	कोई प्रावधान नहीं	कोई सदस्य अधिनियम में वर्णित किसी अथवा किन्हीं निर्योग्यताओं से ग्रसित हो गया हो।
13(6)	कोई प्रावधान नहीं।	संचालक मण्डल के सदस्य की अन्तरिम रिक्ति अथवा रिक्तियों की पूर्ति राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जावेगी।
15(4)	कोई प्रावधान नहीं।	मुद्रणालय के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर विचार करना, पूर्ति रिपोर्ट तैयार करना एवं साधारण सभा के समक्ष अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना।
17(ड)	कोई प्रावधान नहीं।	मुद्रणालय के संचालक मण्डल के निर्वाचन का संचालन करने के लिए विद्यमान समिति की अवधि समाप्ति के छः माह पूर्व ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, लिखित सूचना निर्वाचन प्राधिकारी को भेजना तथा साथ ही किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात भी लिखित सूचना भेजना।
22	कोई प्रावधान नहीं।	वार्षिक विवरण पत्र मुद्रणालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियॉं फाईल करेगा– 1. अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट, 2. अपने लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण, 3. अधिशेष के व्ययन के लिए योजना जो सोसाइटी के साधारण निकाय के द्वारा अनुमोदित हो, 4. सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो की सूची, 5. साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे में घोषणा और, ऐसी अन्य सूचना जिसकी रजिस्ट्रार समय समय पर अपेक्षा करे।

(अशोक अईयर)
उप रजिस्ट्रार (नियम)
सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर